

संख्या- ३१७ / ३३-३-२०१७-१० जी.आई./२०१५

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/समाज कल्याण/आई.टी.एवं
इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/प्राथमिक शिक्षा
विभाग/चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग/वित्त विभाग/पशुधन
विभाग/लघु सिंचाई विभाग/कृषि विभाग/खाद्य एवं रसद विभाग/
राजस्व विभाग/समग्र ग्राम विकास विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/
लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग, ८०प्र० शासन।

पंचायतीराज अनुभाग-३

लखनऊ दिनांक २४ फरवरी, 2017

विषय— वर्ष 2017-18 की ग्राम पंचायत विकास योजना में संबंधित विभागों के
कार्यों के समेकन हेतु विभागों द्वारा दिशा निर्देश जारी किये जाने के संबंध
में।

महोदय,

पंचायतीराज अनुभाग-३ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-५/२०१७/१५८/
३३-३-२०१६-१० जी.आई./२०१५ दिनांक 23 जनवरी, 2017 का अवलोकन करने
का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में वर्ष 2017-18 की ग्राम पंचायत विकास
योजना (जी.पी.डी.पी.) निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ करते हुए विकास योजनाओं को
ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्लान-प्लास पर अपलोड करने, योजना में लिये गये कार्यों
की यूनिक वर्क आई.डी.ऐक्शन-सॉफ्ट पर जारी करते हुए उसके सापेक्ष
प्रिया-सॉफ्ट पर वाउचर इन्ट्री तथा कार्य के परिपेक्ष्य में निर्मित परिसम्पत्तियों को
नेशनल एसेट डायरेक्ट्री में अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रगति पर चर्चा करने एवं जी.पी.डी.पी.
की प्रक्रिया पर समस्त विभागों को संज्ञानित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता
में गठित पंचायत स्टेट एकजीक्यूटिव कमेटी की घष्ठ बैठक समस्त विभागों के
साथ दिनांक 30 जनवरी, 2017 (कार्यकृत संलग्न) को आयोजित की गयी। बैठक
में ग्राम पंचायतों द्वारा योजनान्तर्गत लिये गये कार्यों का सेक्टरवार अध्ययन करने
पर यह पाया गया कि कुछ निश्चित सेक्टरों मुख्यतः रोड, स्वच्छता, पेयजल,
विद्युतीकरण में ही सबसे अधिक कार्यों को लिया गया है वस्तुतः अन्य महत्वपूर्ण
सेक्टरों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण, कृषि, समाज कल्याण,
परिवार कल्याण आदि में लिये गये कार्यों की संख्या कम है।

ग्राम पंचायत विकास योजना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, ग्राम
पंचायतों के समग्र विकास हेतु आवश्यक है कि अभिसरण (कनवर्जेस) पर भी ज़ोर
देते हुए चौदहवें वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के साथ-साथ अन्य
विभागों, विषयों तथा कम लागत/शून्य लागत के कार्यों को भी जी.पी.डी.पी. में

३४९५

उप निदेशक (पं०) (श्रीमिह)निदेशक
२३/३/१७

१२८ PSA Cell

(एस० एन० सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंचायतीराज उ०प्र०।

०२/०३/१७

सम्मिलित किया जाये जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र एवं समेकित विकास की योजना जी.पी.डी.पी. बन सके।

अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23 जनवरी, 2017 एवं पंचायत स्टेट एकजीक्यूटिव कमेटी की षष्ठि बैठक का कार्यकृत संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि वर्ष 2017-18 की जी.पी.डी.पी. निर्माण प्रक्रिया के दौरान आयोजित ग्राम सभा की बैठक में अपने विभाग के अधिकारी/कर्मियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने तथा विभाग की आवश्यकताओं को बैठक में रखवाकर ग्राम पंचायत विकास योजना में संलग्न करवाने हेतु विभागीय आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीय

(राहुल भट्टनागर)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः— तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. श्री जितेन्द्र शंकर माथुर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. समस्त सदस्य, पंचायत स्टेट एकजीक्यूटिव कमेटी, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

N

सम्मिलित किया जाये जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र एवं समेकित विकास की योजना जी.पी.डी.पी. बन सके।

अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23 जनवरी, 2017 एवं पंचायत स्टेट एकजीक्यूटिव कमेटी की षष्ठि बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि वर्ष 2017-18 की जी.पी.डी.पी. निर्माण प्रक्रिया के दौरानें आयोजित ग्राम सभा की बैठक में अपने विभाग के अधिकारी/कर्मियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने तथा विभाग की आवश्यकताओं को बैठक में रखवाकर ग्राम पंचायत विकास योजना में संलग्न करवाने हेतु विभागीय आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीय
Renuj
(राहुल भट्टागर)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. श्री जितेन्द्र शंकर माथुर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. समस्त सदस्य, पंचायत स्टेट एकजीक्यूटिव कमेटी, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

५।२०१।५९
संख्या— / ३३—३—२०१६—१० जी.आई. / २०१५

प्रेषक,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

१. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
२. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग—३

लखनऊ दिनांक २३ जनवरी, २०१७

विषय— वर्ष २०१७—१८ में ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्गनिर्देश एवं प्रिया—साप्ट पर वार्षिक पुस्तिका बंदी के सम्बन्ध में।

महोदय,

१४वें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम—१९४७ में निहित व्यवस्था को मूर्तरूप प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी)—“हमारी योजना हमारा विकास” को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष २०१५—१६ से लागू किया गया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं तैयार की गयी विकास योजना है जो कि ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से जन समुदाय की आवश्यकताओं का चिह्नीकरण एवं प्राथमिकीकरण करते हुए विभिन्न स्रोतों एवं योजनाओं से उपलब्ध होने वाले संसाधनों को समेकित कर सहभागी नियोजन द्वारा तैयार की जाती है। इस प्रकार से तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजनाओं को पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के साप्टवेयर—‘प्लान—प्लस’ पर अंकित किया जाता है, तत्पश्चात् सम्बन्धित साप्टवेयर—‘ऐक्शन—साप्ट’ पर प्रत्येक ‘वर्क आई.डी.’ के सापेक्ष तकनीकी तथा प्रशासनिक अनुमोदन के उपरान्त भौतिक और वित्तीय प्रगति अंकित की जाती है तथा ‘प्रिया—साप्ट’ साप्टवेयर पर कार्यों का लेखा—जोखा रखा जाता है। प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया तथा पंचायतों के ई—सुदृढ़ीकरण को सफल बनाने हेतु निमांकित रूप से प्रयास किये जा रहे हैं—

१— राज्य, जनपद, विकास खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर वृहद् स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने सम्बन्धी दृष्टिकोण निर्माण हेतु जनपद एवं खण्ड स्तरीय प्रशिक्षणों के आयोजन के साथ ई—गवर्नेन्स के कार्यों हेतु उपलब्ध साप्टवेयर पर जनपद एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण भी समिलित है।

- 2— केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से विभागीय योजनाओं के अनुश्रवण हेतु 11 सापटवेयर संचालित किये गये हैं, जिसमें प्रथम चरण में 8 सापटवेयर्स यथा—एल. जी.डी. एरिया प्रोफाइलर् एसेट डायरेक्ट्री, प्लान-प्लस, ऐक्शन सापट, प्रिया—सापट, नेशनल पंचायत पोर्टल एवं एस.एस.डी.जी./ ई-डिस्ट्रिक्ट पर प्रदेश में कार्य किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली अचल सम्पत्तियों/एसेट की मैपिंग हेतु मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन योजना—एम एसेट पर समस्त जनपदों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य भी किया जा रहा है।
- 3— प्रदेश में वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गयी लगभग शत—प्रतिशत ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजनाओं को पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश कार्ययोजना की फीडिंग में देश में प्रथम स्थान पर है।
- 4— त्रि—स्तरीय पंचायतों के वार्षिक लेखा—जोखा सम्बन्धी विवरण प्रिया—सापट सॉफ्टवेयर में वर्ष 2014–15 तक लगभग शत—प्रतिशत बन्दी किये जा चुके हैं।
- 5— प्रदेश की लगभग 1.5 लाख से अधिक परिसम्पत्तियां, नेशनल एसेट डायरेक्ट्री पर अंकित की चुकी हैं एवं लगभग 10 लाख से अधिक जन्म—मृत्यु एवं परिवार रजिस्टर की नकल के आवेदनों का, निस्तारण एस.एस.डी.जी./ ई-डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर पर किया जा चुका है।
- 6— प्रदेश में लगभग 8000 ग्राम पंचायत अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के कार्य हेतु लैपटॉप का वितरण किया गया है जिसके उपयोग हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध तकनीकीकर्मी/डी.पी.एम. के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा लैपटॉप हैण्डलिंग पर प्रशिक्षण आयोजित कराया जाना प्रक्रियाधीन है।
- उक्त रूप से किये गये प्रयासों का संचालन प्रत्येक वर्ष एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में प्रदेश में किया जाना है, जिसकी सफलता हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से कार्य किये जाने की आवश्यकता है—
- 1— पंचायतों द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जाना, एक सतत प्रक्रिया है, अतः वर्ष 2017–18 की विकास योजनाओं हेतु पंचायतों द्वारा ‘नियोजन प्रक्रिया’ जनवरी 2017 से ‘प्रारम्भ की जानी है जिससे कि 31 मार्च 2017 तक समस्त पंचायतों की विकास योजनायें ऑनलाइन सापटवेयर ‘प्लान—प्लस’ पर अपलोड की जा सके।
- 2— यहाँ पर योजना निर्माण हेतु नियोजन की प्रक्रिया से आशय दिनांक 29 सितम्बर, 2015 द्वारा शासन से निर्गत मार्गनिर्देशों एवं अन्य क्रियान्वयन सम्बन्धी आदेशों के


अनुरूप वातावरण सृजन, समस्याओं/आवश्यकताओं का चिन्हीकरण, ग्राम सभा की बैठक का आयोजन, वित्तीय संसाधनों (ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग एवं स्वयं द्वारा अर्जित आय) की उपलब्धता के अनुरूप प्राथमिक आवश्यकताओं को चयनित करते हुए ड्राफ्ट योजना तैयार किया जाना तथा योजना में लिये गये कार्यों पर अनुमानित व्यय के अनुसार अन्तिम रूप से तैयार की गयी कार्ययोजना पर ग्राम सभा द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जानी है।

- 3— योजना तैयार करने में उक्त रूप से जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति, खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, न्याय पंचायत स्तरीय चार्ज अफसरों, तकनीकी कर्मियों एवं ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप के अन्तर्गत ग्राम प्रधान, सचिव, खण्ड स्तरीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि ग्राम सभा की बैठक के समय उपस्थित रहकर ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उठायी गयी समस्याओं/आवश्यकताओं के पूर्ण रूप से निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
- 4— इस प्रकार से तैयार की गयी योजना को 'प्लान-प्लस' पर अपलोड करने के पश्चात् कार्यवार प्रावक्कलन तैयार करने एवं तकनीकी अनुमोदन हेतु खण्ड स्तर पर उपलब्ध तकनीकी कर्मी यथा—जे.ई.एम.आई. एवं जे.ई.आर.ई.डी., मण्डी परिषद, जिला पंचायत के उपलब्ध तकनीकी कर्मियों के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अन्य नियमित तकनीकी कर्मियों को भी नामित किया जा सकता है। शासनादेश संख्या—3/2016/3038/33-1-2016 दिनांक— 22 नवम्बर, 2016 के अन्तर्गत रु. 2 लाख तक की लागत के कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभाओं को है तथा कार्ययोजना की स्वीकृति पूर्ण रूप से ग्राम सभा की खुली बैठक में लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, शेष रु. 2 लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु पंचायत राज अधिनियम—1947 के नियम 154 में यथावश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- 5— इस प्रकार से ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये कार्यों की यूनीक वर्क आई.डी. ऐक्शन—साप्ट साप्टवेयर पर जारी कराकर उसके सापेक्ष प्रिया—साप्ट साप्टवेयर पर वाउचर इन्ट्री के माध्यम से व्यय धनराशि का लेखा—जोखा रखेगी।
- 6— उक्त प्रकार से वर्ष 2017–18 में ऐक्शन—साप्ट एवं प्रिया—साप्ट पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्यों

की यूनीक वर्क आई.डी., प्लान-प्लस तथा ऐक्शन-सापट सापटवेयर पर जारी कराकर उसके सापेक्ष प्रिया-सापट सापटवेयर पर वाउचर की इन्ट्री के माध्यम से व्यय धनराशि का लेखा-जोखा भी ऑनलाइन अंकित कराना आवश्यक है। चूंकि भारत सरकार द्वारा राज्य को प्राप्त होने वाली 14वें वित्त आयोग की धनराशि के सापेक्ष व्यय का अनुश्रवण भी भारत सरकार के स्तर पर उक्त सापटवेयर के माध्यम से किया जा रहा है अतः 14वें वित्त आयोग की अनुदान राशि राज्य को निर्बाध रूप से प्राप्त हो सके। इसके लिये आवश्यक होगा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष 2015-16 की प्रिया-सापट पर वार्षिक पुस्तिका शत-प्रतिशत बन्द करने तथा वर्ष 2016-17 की प्लान-प्लस/ऐक्शन सापट सापटवेयर के माध्यम से प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. के सापेक्ष व्यय की अद्यतन वाउचर इन्ट्री, प्रिया सापट पर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से फ्रीज करा दी जाय।

- 7— ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जिन 12 जनपदों यथा—अलीगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज, मेरठ, हरदोई, इटावा, प्रतापगढ़, गोण्डा, बइराइच, संत कबीर नगर तथा ललितपुर द्वारा विकास खण्ड स्तर के समस्त प्रशिक्षणों का आयोजन पूर्ण नहीं किया गया है, उक्त जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा नयी योजना को तैयार करने से पूर्व समस्त हित धारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2017-18 हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया प्रारम्भ कराने के साथ स्वयं के स्तर से साप्ताहिक बैठक कर जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी तथा खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी(प०) द्वारा प्लान-प्लस, ऐक्शन-सापट तथा प्रिया-सापट सापटवेयर पर की जा रही प्रविष्टियों की समीक्षा कर अपने जनपद की सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष 2015-16 की प्रिया सापट पर वार्षिक पुस्तिका शत-प्रतिशत बन्द करने तथा वर्ष 2016-17 की प्लान-प्लस/ऐक्शन-सापट सापटवेयर के माध्यम से प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. के सापेक्ष व्यय की अद्यतन वाउचर इन्ट्री, प्रिया-सापट पर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से फ्रीज कराने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि ऑनलाइन इन्ट्री हेतु सहायक विकास अधिकारी(प०) द्वारा आवश्यक अभिलेख सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्धक एवं खण्ड स्तर पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें।



भवदीय
 (राहुल भट्टाचार)
 मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः— तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. श्री जितेन्द्र शंकर माथुर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
7. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
9. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ.प्र. शासन।
10. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ.प्र. शासन।
11. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ.प्र. शासन।
12. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ.प्र. शासन।
13. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।
14. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।
15. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
16. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र.।
17. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
18. निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान(प्रिट), लखनऊ।
18. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
19. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।
20. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।
21. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उ.प्र.।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।